उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 82/2024/1432/छप्पन-2024-56/2010
लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री जी0एस0 पड्डा को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1575/छप्पन-2010-20/2010 दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 के द्वारा रू0 1,80,000/- (रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री जी0एस0 पड्डा द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त श्री जी0एस0 पड्डा की संविदा अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में इनकी संविदा अवधि शासनादेश संख्या-99/2019/1807/छप्पन-2019-56/2010 दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के अन्तर्गत नियत मासिक पारिश्रमिक एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि पर पूर्व सेवा शर्तों के साथ 01 दिसम्बर, 2019 से अग्रेत्तर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक के लिए बढ़ाई गई। इस प्रकार दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को इनकी संविदा सेवा पूर्ण हो रही है।

2- शासनादेश संख्या-68/2024/1327/छप्पन-2024-23/2017 टी0सी0-1 दिनांक 14 अगस्त, 2024 द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ में एक समय पर sanctioned strength के एक तिहाई संविदा पायलटों (maximum) की संविदा सेवा को उनकी 65 वर्ष की आयु तक अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा पायलटों के लिए अनुमन्य आयु सीमा तक Case to Case basis पर बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके क्रम में निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या-152/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2024 दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा श्री जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से इनकी संविदा सेवा पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात 31 अक्टूबर, 2029 तक के लिए बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया तथा यह सूचित किया गया है कि श्री जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) का दिनांक 26 फरवरी, 2024 से वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रू0 6,98,098.00 (रूपये छ: लाख अट्ठानबे हजार अट्ठानबे मात्र) है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री जी0एस0 पड्डा की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रू0 6,98,098.00 (रूपये छ: लाख अट्ठानबे हजार अट्ठानबे मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से आगामी 03 वर्ष (अर्थात दिनांक 31 अक्टूबर, 2027 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- श्री जी0एस0 पड्डा की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्री जी0एस0 पड्डा से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

संख्या: 82/2024/1432/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।